HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2378/2026

Tahir Khan @ Raja S/o Bablu Khan, Aged About 23 Years, R/o Mehandipura Mohalla Dug, Police Station Dug, District Jhalawar (Raj.) (Petitioner Is In Sub Jail Bhawanimandi)

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Ms. Shazadi Bano
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Kumar Gupta, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

13/04/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना डग, जिला–झालावाड़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 228/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 109, 118(2), 126(2), 115(2), 352, 3(5) भारतीय न्याय संहिता व धारा 4/25 आयुध अधिनियम में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि आहत सुनील को जो चाकू की चोट कारित होना बताया गया है, उसका आकार 0.5x2 सेमी है तथा केवल एक ही चोट आहत को कारित हुई है। आहत और अभियुक्त एक ही गांव के निवासी है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 08.10.2025 से अभिरक्षा में है और उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण में विचारण प्रारम्भ हो चुका है तथा अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 109, 118(2), 126(2), 115(2), 352, 3(5) भारतीय न्याय संहिता व धारा

4/25 आयुध अधिनियम के अपराधों का अभियोग है। प्रार्थी–अभियुक्त पर ही आहत को छाती के नीचे चाकू मारने का आक्षेप है। आहत को कारित चोट पसली की अस्थिभंग होकर गम्भीर प्रकृति की पाई गई है। आहत का ऑपरेशन भी हुआ है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर अपराधों का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 109, 118(2), 126(2), 115(2), 352, 3(5) भारतीय न्याय संहिता व धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अपराधों का अभियोग है। प्रार्थी पर आहत के सीने के नीचे, जो कि मार्मिक अंग (vital part) है, पर चाकू मारने का आक्षेप है। प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा जिस तेजी के साथ आहत पर चाकू से वार किया गया है, उसके कारण आहत को पसली की अस्थिभंग की चोट कारित हुई है। चिकित्सक द्वारा यह अंकित किया गया है कि आहत का ऑपरेशन इसलिये किया गया, **ताकि उसकी जान बचाई जा सके**। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर अपराधों का अभियोग है। उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

VISHAL SHARMA /16